

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/373/2024


दिनांक -13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.373/2024 अनवान कन्हैयालाल पुत्र गोकल ब्राह्मण , गायत्री पुत्री राजेश ब्राह्मण , दिलीप कुमार पुत्र रामजस ब्राह्मण , रतनी देवी पत्नि रामजस ब्राह्मण , राधिका पुत्री राजेश ब्राह्मण, विष्णुभगवान पुत्र राजेश ब्राह्मण , हंसादेवी पत्नि राजेश ब्राह्मण निवासी अमरवासी बनाम प्रेमदेवी पत्नि कजोड मीणा , कजोडमल पुत्र रामदेव मीणा , ओमप्रकाश पुत्र रामदेव मीणा , शिवराज पुत्र रामदेव मीणा , जयपाल पुत्र सत्यनारायण मीणा निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगडी की पालना बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुंवाला की आराजी सं. 1015/792 रकबा 0.5666 है , 790 रकबा 1.7401 है , 791 रकबा 0.1133 है. कुल किता 3 रकबा 2.4200 है.भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगडी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगडी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कन्हैयालाल पुत्र गोकल ब्राह्मण निवासी अमरवासी

बनाम

प्रेमदेवी पत्नि कजोड मीणा निवासी बारला पोलिया

किरम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 37/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुंवाला मे आराजी सं. 1015/792 रकबा 0.5686 है, 790 रकबा 1.7401 है, 791 रकबा 0.1133 है. कुल कित्ता 3 रकबा 2.4200 है. भूमि रिथत है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जायें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुंवाला की आराजी सं. 1015/792 रकबा 0.5686 है, 790 रकबा 1.7401 है, 791 रकबा 0.1133 है. कुल कित्ता 3 रकबा 2.4200 है.भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जायें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा